


24/12/21



पत्रावली पेशा हुई। अपीलार्थ एवं अपीलार्थ अधिवक्ता को बार-बार आवाजे दिलाई गईं किंतु अपीलार्थ एवं अपीलार्थ के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलार्थ एवं अपीलार्थ अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से अपील अपीलार्थ अदम्य हाजरी एवं अदम्य पेशी में खाली की जाती है। पत्रावली फौजदारी सुधार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जाये। आदेश खुले न्यायालय में सुनया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मध्य आदेश की प्राप्ति पालनार्थ एवं सूचनाार्थ लौटाई जावे।


राजस्थान उच्च न्यायालय
जायपुर